

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल V के क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त (नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 के अनुसार सूचना सहायक पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में मूल देय वेतन 11170/- (8370/- + ग्रेड पे 2800) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
	2	3	4	5	6
1	श्री योगेन्द्र खुराना	राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर	25.10.2012	24.10.2014	25.10.2014
2	श्रीमती विनिता विजय	राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर	19.10.2012	18.10.2014	19.10.2014
3	श्री विकास शर्मा	मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर	18.10.2012	17.10.2014	18.10.2014
4	श्री विनोद शर्मा	स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर	18.10.2012 (म. प.)	18.10.2014	19.10.2014
5	श्री उमेश चन्द दैया	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर	19.10.2012	18.10.2014	19.10.2014
6	विनोद कु. पालीवाल	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	26.10.2012	25.10.2014	26.10.2014
7	श्री विष्णु कुमावत	कार्यालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	19.10.2012	18.10.2014	19.10.2014

उपरोक्त सूचना सहायकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्सम्बन्धी इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त सूचना सहायकों की आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2015 रहेगी।

आज्ञा से,


(आशुतोष एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. प्रभारी अधिकारी, (बेवसाइट) सूचना प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:-एफ.2(6349)डीओआईटी/संस्था/14/25146/2014

जयपुर, दिनांक 31/10/2014

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को, जिन्होंने अपने पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम सं. 6 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम 22 एवं शिड्यूल के v अनुसार के क्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त(नियम)/2013 दिनांक 28.06.2013 के अनुसार सूचना सहायक पद की वेतन श्रृंखला (पी.बी.-1) 5200-20200 (ग्रेड पे नं. 10) ग्रेड पे-2800 में मूल देय वेतन 11170/- (8370/-+ग्रेड पे-2800) एवं नियमानुसार अन्य भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परीवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री इमरान परवेज	कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर	19.10.2012	18.10.2014	19.10.2014
2	श्री जितेन्द्र कुमार	जिला उद्योग केन्द्र, दौसा	23.10.2012	22.10.2014	23.10.2014
3	श्री हरिओम सोनी	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर	29.10.2012	28.10.2014	29.10.2014
4	श्रीमति कीर्ति माहेश्वरी	जिला उद्योग केन्द्र, झालावाड	23.10.2012	22.10.2014	23.10.2014

उपरोक्त सूचना सहायकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा। नियमितिकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2015 होगी।

आज्ञा से,

(ए.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं
पदेन सयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. प्रभारी अधिकारी, सू.प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. संबंधित कर्मचारी।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

कार्यालयाध्यक्ष